



20	नेफालाजी, (मेडिसिन) नेफालाजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपीसी	(27)	0	0	0	0	0	0
21	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	1	एससी अनारक्षित ओपीसी	(93) (94) (95)	1 1 1 1 1 1	एससी (69) (30) (70) (139) (140) (141) (170) (171)
22	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एससी	(45)	1	एसटी		(47)	1	ओपीसी (71)
23	पैथालाजी	0	0	0	0	0	0	0	1	एससी (89) (90)
24	फार्माकालाजी	1	एससी	(49)	1	एससी		(25)	1	एससी (93)
25	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित		(34)	1	
26	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित (46) (94) (145)
27	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	0	1	अनारक्षित (98) (146)
28	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीसी	(51)	1	अनारक्षित		(96)	1	एसटी (147)
29	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	1	एसटी (97) (98) (150) (151)
30	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसी (75)
31	रेडियोलॉजी	1	ओपीसी	(37)	1	ईडब्ल्यूएस अनारक्षित एससी ईडब्ल्यूएस एससी अनारक्षित		(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ओपीसी (37) (38) (56) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (161)
32	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओपीसी		(103)	0	1 फिजिसिस्ट (161)
		17			56				91	0

- उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
  - शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
  - शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
  - घयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थात् तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थात् को पूर्ववर्ती अर्थात् पर परीक्षा प्रदान की जायेगी।
  - चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्थापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
  - ओपीसी/डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
  - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
  - कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये सेवियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
  - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आरक्षित/अपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
  - उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/वर्तले एवं सेवागत लाभ अनुमत्त नहीं होंगे।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएं लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से घयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
  - ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से घयनित अर्थात्/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
  - चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
  - संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसे करार या अनुभव पर में निर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह सविध्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्वाधीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमत्त होगी।
  - अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
  - उ०प्र० शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय प्राप सं०-1/2018/4/1/2002/का-2/19 टीसी-III दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ई०डब्ल्यूएस० (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय कम 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिस्थिति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य आधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
  - सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एन०एम०सी० गाइड लाइन के अनुसार अनुमत्त होगी।
  - सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
  - जो अभ्यर्थी एम०डी०/एम०एस० के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं०-351/तददिनांक

- प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
  - समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
  - नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर

*[Signature]*

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर